



प्रथमा यू०पी०ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय- रामगंगा बिहार फेज-2
मुरादाबाद 244001 (उ.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय
मुरादाबाद

सार्वजनिक नीलामी द्वारा चल व अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियमों के नियम 6 (2) के तहत)

यदिपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राण अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहायित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सहअनुबंधियों को उनके सम्बन्धित अधिकारों को नॉटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पर में वर्णित भवनाधि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त भवनाधि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहायित नियम (8) के अन्तर्गत प्राण अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्बन्धित अधिकारों का संचालित करना प्राण कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं द्वारा उक्त भवनाधि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते/ऋणी/सहअनुबंधी का विवरण/शाखा का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण/सम्पत्ति स्वामी	मांग सूचना अनुसार देय राशि/ मांग सूचना की तिथि/ कबले की तिथि व तिथि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य/अनैस्ट मनी/जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय व स्थान
1	ऋणी:- श्री सावित्र पुत्र श्री हाफिज निवासी मिर्चा कालोनी, गली नं० 1, निकट नुरानी मस्जिद, करुला, मुरादाबाद। सहअनुबंधी:- 1. श्री मोहम्मद शाहवेज पुत्र श्री सरतज, श्री मोहम्मद युसूफ पुत्र श्री मोहम्मद आरिफ निवासी मिर्चा कालोनी, गली नं० 1, निकट नुरानी मस्जिद, करुला, मुरादाबाद। शाखा:- कटर, मुरादाबाद।	सम्पत्ति :- स्थित है- मिर्चा कालोनी, मौजा जयंतपुर, करुला, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल- 50.11 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी- श्री सावित्र पुत्र श्री हाफिज, रजिस्टर्ड:- वही नं० 1, जिल्द नं० 15100, पेज नं० 393-408, कम नं० 4354, दिनांक 28.03.2019, चौहददी:- उत्तर- आम रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण- प्लाट शाहिर कंठा, पूर्व-प्लाट राजा वली, पश्चिम- आम रास्ता 12 फीट चौड़ा।	₹ 207370.00 तिथि 27.06.2019 तक + ख्याज एवं अन्य खर्च, मांग सूचना- 12.01.2023 संकेतिक कब्जा 03.05.2023	₹ 7,00,000.00 ₹ 700000.00 तिथि 09.10.2024 नीलामी से पूर्व	09.10.2024 समय सुबह 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक शाखा कटर, मुरादाबाद
2	ऋणी:- श्रीमती तेजवती पत्नी श्री शिव सिंह निवासी अनुपम नगर, निकट शिव मंदिर, देहरी गांव, ग्राम देहरी मुस्तकम, मुरादाबाद। सहअनुबंधी:- 1. श्री जात सिंह पुत्र श्री शिव सिंह निवासी अनुपम नगर, निकट शिव मंदिर, देहरी गांव, ग्राम देहरी मुस्तकम, मुरादाबाद, 2. श्री मुनेष कुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी अनुपम नगर, निकट शिव मंदिर, देहरी गांव, ग्राम देहरी मुस्तकम, मुरादाबाद। शाखा:- कटर, मुरादाबाद।	सम्पत्ति :- स्थित है- श्री अनुपम नगर, निकट शिव मंदिर, देहरी गांव, खसरा नं० 36 व 37, ग्राम देहरी मुस्तकम, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल- 42.15 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी- श्रीमती तेजवती पत्नी श्री शिव सिंह, रजिस्टर्ड:- वही नं० 1, जिल्द नं० 14097, पेज नं० 131-152, कम नं० 4615, दिनांक 13.03.2018, चौहददी:- उत्तर- भवन लीलाधर, दक्षिण- भवन सक्सेन, पूर्व- रोड 10 फीट चौड़ा, पश्चिम- मकान परछट जी।	₹ 2,10,191.00 तिथि 30.12.2022 तक + ख्याज एवं अन्य खर्च, मांग सूचना- 12.01.2023 संकेतिक कब्जा 03.05.2023	₹ 13,00,000.00 ₹ 1,30,000.00 तिथि 09.10.2024 नीलामी से पूर्व	09.10.2024 समय सुबह 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक शाखा कटर, मुरादाबाद
3	ऋणी:- श्री मोहम्मद सावित्र पुत्र श्री मतलुब निवासी गली नं० 8, रहमा नगर, वीनिया मस्जिद, करुला, मुरादाबाद। सहअनुबंधी:- 1. श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री अहमद शरीफ निवासी मौल्ला पक्का बाग, अहमद इमरान फर्म के पीछे, मुरादाबाद, 2. श्री गौरि खान पुत्र श्री छुट्टन खान निवासी गली नं० 8, रहमा नगर, वीनिया मस्जिद, करुला, मुरादाबाद। शाखा:- कटर, मुरादाबाद।	सम्पत्ति :- स्थित है- ग्राम भवैरा, तहसील व जिला मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल- 42.16 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी- श्री मोहम्मद सावित्र पुत्र श्री मतलुब, रजिस्टर्ड:- वही नं० 1, जिल्द नं० 2988, पेज नं० 141-164, कम नं० 5108, दिनांक 20.06.2000, चौहददी:- उत्तर- भवन अख्तर, दक्षिण- भवन सावित्र, पूर्व- भवन एहसान व अन्य, पश्चिम- आम रास्ता 8 फीट चौड़ा।	₹ 5,32,234.00 तिथि 31.12.2019 तक + ख्याज एवं अन्य खर्च, मांग सूचना- 19.02.2020 संकेतिक कब्जा 22.09.2020	₹ 10,00,000.00 ₹ 10000.00 तिथि 09.10.2024 नीलामी से पूर्व	09.10.2024 समय सुबह 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक शाखा कटर, मुरादाबाद
4	ऋणी:- श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री आकाश शर्मा निवासी महलुलगांव, निकट तार कुड़ा जुमिनर हाई स्कूल कटर मुरादाबाद। सहअनुबंधी:- 1. श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री हरी किरान शर्मा निवासी महलुलगांव, निकट तार कुड़ा जुमिनर हाई स्कूल, कटर मुरादाबाद, 2. श्री विजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जानकी प्रसाद शर्मा निवासी महलुलगांव, निकट हिट्टी साहय का हॉस्पिटल, कटर, मुरादाबाद। शाखा:- कटर, मुरादाबाद।	सम्पत्ति :- स्थित है- मौल्ला-कटर, महलुलगांव, धाना कटर, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल- 45.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी- श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा, रजिस्टर्ड:- वही नं० 1, जिल्द नं० 9130, पेज नं० 287-408, कम नं० 12481, दिनांक 31.08.2012, सव रजिस्ट्रार कार्यालय, प्रथम, मुरादाबाद। चौहददी:- उत्तर- रास्ता 11 फीट चौड़ा, दक्षिण- भवन संजू, पूर्व- भवन संजू, पश्चिम- भवन कमल कुमार अग्रवाल	₹ 1,65,342.00 तिथि 17.06.2019 तक + ख्याज एवं अन्य खर्च, मांग सूचना- 17.06.2019 संकेतिक कब्जा 30.09.2019	₹ 11,00,000.00 ₹ 110000.00 तिथि 09.10.2024 नीलामी से पूर्व	09.10.2024 समय सुबह 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक शाखा कटर, मुरादाबाद

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नीलामी की नियम व शर्तें- 1. नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत वचना राशि के लिये ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आर्टीजीएस/एचडी/एचडी जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड साबित करना होगा। बोलीदाता को बोली स्वीकार होने की नीलामी बोली का 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जल कर ली जाएगी। 3. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय 'जहाँ है जैसा है जो है' के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी विना कारण दर्शाए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. अस्पष्ट बोलीदाता की भवनाधि नीलाम सम्पत्ति के बाद उसी दिन विना ख्याज के वापस कर दी जाएगी। 5. हस्तान्तरण सम्बंधी खर्च जैसे स्टम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि सभी विधि सम्बन्धित खर्च सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जाएंगे। 6. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी कर व देवताओं की विमोदरी बोलीदाता की होगी। 7. अन्य जानकारी हेतु किसी भी कानून विद्वान से सम्बन्धित शाखा में सम्पर्क करें। 8. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगा तथा बोलीदाता पांच हजार के गुणांक में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाएगा। 9. यदि ऋणी नीलामी को तरीख से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। 10. यह नॉटिस ऋणियों/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं को 30 दिन का नॉटिस पढ़ा जावे।

दिनांक: 06.09.2024, स्थान:- मुरादाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक